सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-27 अंक-4 22 फरवरी से 7 मार्च, 2012 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

महान स्टालिन जिन्दाबाद

9 दिसम्बर, 1879 5 मार्च, 1953

'' पेटी-बुर्जुआ जनवादी पार्टियाँ, सोशलिस्ट रिवोलुशनरियों और मेन्शेविकों की पार्टियाँ साम्राज्यवाद की सबसे खतरनाक सामाजिक सहारा थी। क्यों? क्योंकि ये पार्टियाँ उस समय समझौतापरस्त थी, साम्राज्यवाद और मेहनती जनता के बीच समझौते की पार्टियाँ थी। स्वाभाविक है कि उस समय बॉल्शेविकों ने अपने मुख्य प्रहारों का निशाना इन पार्टियों को बनाया था। क्योंकि जब तक इन पार्टियों को जनता से अलग-थलग नहीं कर दिया जाता, तब तक मेहनती जनता और साम्राज्यवाद के बीच दरार पड़ने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती और जब तक इस दरार को सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता, तब तक सोवियत क्रान्ति की जीत की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। कई लोग उस समय बोल्शेविक रणकौशल की इस विशेष लाक्षणिकता को समझे नहीं और उन्होंने बोल्शेविकों पर सोशलिस्ट रिवोलुशनरियों व मेन्शेविकों की तरफ ''बेहद नफरत'' दिखाने और अपने प्रधान लक्ष्य को ''भूल जाने'' का दोषारोपण किया। लेकिन अक्तूबर क्रन्ति के लिए तैयारी की पूरी अवधि इस बात की गवाही देती है कि केवल इस रणकौशल को अपना कर ही बोल्शेविक अक्तूबर क्रान्ति की जीत सुनिश्चित कर सके।''

– जे. वी. स्टालिन

(अक्तूबर क्रान्ति और रूसी कम्युनिस्टों का रणकौशल, अंग्रेजी संस्करण, पृ. 143-144)

देशभर में 14 मार्च के संसद चलो अभियान ने लिया जन आन्दोलन का रूप

बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि जनजीवन के ज्वलंत मुद्दों पर सोशलिस्ट यूनिटि सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की केन्द्रीय कमेटी के आह्वान पर 14 मार्च के संसद चलो अभियान ने देशभर में जन आन्दोलन का रूप ले लिया है। विभिन्न राज्यों में आयोजित प्रदर्शनों, सभाओं, हस्ताक्षर संग्रह आदि कार्यक्रमों के अब तक प्राप्त समाचार संक्षेप में दिये जा रहे हैं।

जनजीवन के ज्वलंत सवालों को लेकर राजभवन के समक्ष प्रदर्शन

रांची (झारखण्ड) : 31 जनवरी 2012, को सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) के तत्वावधान में बेलगाम महंगाई, भ्रष्टाचार, विस्थापन, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, पानी - बिजली-चिकित्सा व शिक्षा के निजीकरण -व्यापारीकरण एवं बस्तियों को उजाड़े जाने के खिलाफ राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया एवं लाखों हस्ताक्षर के साथ ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जयपाल सिंह स्टेडियम से एक सुसज्जित जुलसू निकाला। जुलूस में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियाँ लिए हुए बेलगाम महंगाई पर रोक लगाओ, बार-बार पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्यवृद्वि पर रोक लगाओ, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, गरीबों की बस्तियाँ उजाड़ने की साजिश बंद करो,

(शेष पृष्ठ 2 पर)

विकास का फरमान : पानी भी खरीद कर पीओ

केन्द्रीय सरकार की हाल ही में प्रकाशित प्रस्तावित राष्ट्रीय जल नीति के बारे में लोग ठीक इन शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं – सरकार अगर सब कुछ निजी हाथों में सौंप रही है तो फिर सरकार के बने रहने का औचित्य ही कहाँ रह जाता है, फिर तो केन्द्रीय सरकार को भी निजी मालिकों के हाथों बेच दिया जाये। फिर कोई यह भी कह रहा है कि सरकार अगर हमें बिना पैसे पानी तक नहीं दे तो फिर हम भी टैक्स क्यों दें?

प्रस्तावित राष्ट्रीय जल नीति के बारे में केन्द्रीय सरकार की 15 पन्नों की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी के बारे में सरकार कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगी। कृषि एवं घरों में पानी सप्लाई पर दी जाने वाली हर तरह की आर्थिक सहायता या सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी।(इसके बदले गैर सरकारी उद्योगों को यह आर्थिक सहायता दी जाएगी) कृषि में सिंचाई के लिए बिजली का जो इस्तेमाल होता है और उसके लिए जो आर्थिक सहायता या सब्सिडी दी जाती है उसे भी 'बिजली-पानी का फिजूलखर्च' कहा जा रहा है।

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी के आह्वान पर 14 मार्च को 8 सूत्री माँगपत्र को लेकर जो दिल्ली मार्च होगा उसकी एक महत्वपूर्ण माँग है पानी का निजीकरण-व्यापारीकरण बंद करो। लम्बे अर्से से विभिन्न राज्य सरकारें पानी के निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। केन्द्रीय सरकार समग्र जल नीति घोषित करके उस पर मुहर लगाना चाह रही है। राज्य-राज्य में लोग तरह-तरह से इसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, आन्दोलन गठित कर रहे हैं। इसी वजह से एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) द्वारा संचालित आन्दोलन के माँग पत्र पर लोग बड़ी भारी संख्या में हस्ताक्षर कर रहे हैं।

विभिन्न राज्यों में जल संसाधनों के निजीकरण की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी। 1998 में सबसे पहले तत्कालीन मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी को राज्य के एक बड़े व्यापारी कैलाश सोनी ने खरीद लिया था। लेकिन नदी को बेच दिये जाने के बाद दोनों किनारों के लोग नदी का पानी रोजमर्रे के किसी काम के लिए नहीं कर सकते थे। मछली पकड़ना वर्जित कर दिया गया था। सिंचाई के लिए भी इसका पानी नहीं

(शेष पृष्ठ 6 पर)

पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार व सेना के बीच द्वन्द्व की पृष्ठभूमि

(पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने एक लम्बा बयान दिया है। पाकिस्तान के हालात को समझने में यह मददगार होगा यह सोच कर ही यह बयान यहाँ छापा जा रहा है।)

पाकिस्तान के शासन तंत्र की उच्च संस्थाओं के दरम्यान जो द्वन्द्व हाल ही में देखने को मिला है, वह इस दौर का सबसे भयंकर द्वन्द्व है। इसके चलते वहाँ बहुत ही पेचीदा सियासी संकट पैदा हो गया है।

पाकिस्तानी फौज को एक विशुद्ध प्रतिरक्षा संस्था अब बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। असल में पाकिस्तानी फौज एक उद्योग और व्यावसायिक कारपोरेशन है। सेनाध्यक्ष की आर्थिक व व्यावसायिक धन-सम्पदा असैनिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आयाम को भी पार कर गई है। आर्थिक हैसियत में यह बढ़ोतरी इस मुकाम पर पहुंच गई है कि शासक वर्ग के हिस्सेदार के तौर पर सेना के अफसर बखूबी जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राजनैतिक शक्तियाँ, सुयोग-सुविधाएं, मौके और मुल्क की राजनैतिक सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रहे बिना, राजनीति की गति-प्रकृति तय करने में फौज की प्रधानता कायम रखे बिना, फौज की आर्थिक हैसियत बरकरार रह नहीं पायेगी। इसलिए बन्दूकधारियों से पहले से इजाजत लिये बिना वहाँ कोई भी गैर फौजी सरकार कुछ भी काम करे – ऐसी बात फौज कतई नहीं होने देती।

उद्योगों, कल-कारखानों, आयात-निर्यात समेत बहुत तरह के कारोबारों के साथ पाकिस्तानी फौज जुड़ी हुई है। लेकिन

(शेष पृष्ठ 4 पर)

रांची में राजभवन के समक्ष प्रदर्शन

(पृष्ठ 1 का शेष)

पानी-बिजली-शिक्षा-चिकित्सा के निजीकरण व्यापारीकरण पर रोक लगाओ, बेतहासा फीस वृद्धि पर रोक लगाओ, जल-जंगल-जमीन को देशी-विदेशी पूँजीपतियों के हवाले करना बंद करो, छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम (सी.एन.टी एक्ट) को सख्ती से लागू करो, सबको शिक्षा, सबको रोजगार देना होगा आदि गगन भेदी नारे लगा रहे थे। जुलूस का नेतृत्व राज्य सचिव कामॅरेड रबिन समाजपति, सिद्धेश्वर सिंह, के.पी. सिंह, रामलाल महतो, आर.एस. शर्मा, विमल दास, सीताराम टुडु, सुमित राय आदि नेताओं ने किया। जुलूस जयपाल सिंह स्टेडियम से निकल कर कचहरी होते हुए राजभवन पहुँचा जहाँ पुलिस द्वारा उसे आगे बढ़ने से रोक दिये जाने पर वहीं जूलूस एक सभा में तब्दील हो गया।

पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड रबिन समाजपति ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारों की गलत व जनविरोधी आर्थिक नीतियों की वजह से आज जनजीवन पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका है। एक ओर जहाँ पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस की मूल्यवृद्धि करके एवं विभिन्न तरह से करों में वृद्धि करके आम जनता पर लगातार बोझ डाला जा रहा है, लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आम गरीब जनता बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण की मार से कराह रही है, गाँव-गाँव से लोग पलायन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बड़े-बड़े उद्योगपतियों, पूँजीपतियों के करों में लगातार कटौती की जा रही है। उनके अरबों रुपयों के कर्ज माफ किये जा रहे हैं या कर्ज वसूली करने की बजाय बट्टे खाते में डाले जा रहे हैं। उद्योगपतियों के मुनाफे को सुनिश्चित करने के लिए नये-नये कानून बनाये जा रहे हैं। कॉमरेड सिद्धेश्वर सिंह ने कहा कि उद्योगीकरण के नाम पर, सौन्दर्यीकरण के नाम पर, जबरन बंदूक के जोर पर, गोलियाँ चला कर जमीन अधिग्रहण की जा रही है, अतिक्रमण के नाम पर बगैर पुनर्वास किये लाखों लोगों को बेघर किया जा रहा है। राँची के इस्लाम नगर, नागाबाबा खटाल, पहाड़ी टोला, रूगड़ी गाढ़ा आदि जगहों में वर्षों से बसे हुए लोगों के घरों पर अमानवीय तरीके से बुलडोजर चलाया गया। गरीबों के हक के लिए लड़ रहे लोगों पर झूठे मुकदमें दायर कर जेल में डालकर आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है। पार्टी के राज्य कमिटी सदस्य सुमित राय ने कहा कि राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की 50 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर है। मनरेगा, इन्दिरा आवास, बीपीएल सूची आदि में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। राशनिंग व्यवस्था ठप्प है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। महिलाएँ असुरक्षित हैं, गुण्डागर्दी, अपराध बढ़ रहे हैं। शिक्षा का निजीकरण-व्यापारीकरण कर यहाँ के छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। सभी वक्ताओं ने कहा कि इस विकट परिस्थिति में जुझारू जनआंदोलन ही एकमात्र विकल्प है, सिर्फ जनआंदोलन के सहारे ही इस दंभी, अत्याचारी सरकार को झुकाया जा सकता है। झारखण्ड समेत अन्य राज्यों में भी जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एस.यू.सी.आई(सी) लगातार आंदोलन गठित कर रही है। इसी क्रम में देश के सभी राज्यों में राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है एवं आगामी 14 मार्च, 2012 को करोड़ों हस्ताक्षरों के साथ दिल्ली में संसद पर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया जायेगा। वक्ताओं ने दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में बड़ी भारी संख्या में शामिल हो कर राष्ट्रव्यापी ताकतवर जनआंदोलन निर्माण करने का आह्वान किया। कॉमरेड सिद्धेश्वर सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल के सचिव से मिला एवं माँग पत्र सौंपा। इस अवसर पर कई जनवादी गीत भी गाये गये।

14 मार्च को संसद अभियान के लिए देशभर में हस्ताक्षर अभियान

केरल

मजदूरों का योगदान जीडीपी में 67 प्रतिशत होने पर भी उनके जीवन में 'विकास' की झलक तक नहीं

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि वे सभ्यता के स्तम्भ हैं। शरतचन्द्र ने कहा है कि वे इस सभ्यता के वाहक हैं। इस युग के विशिष्ट मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा है कि वे सभ्यता के स्रष्टा हैं। मजदूरों के बारे में महान व्यक्तियों के ये हैं श्रद्धा सहित कहे गये कथन। पूंजीवादी मुनाफाखोरी पर आधारित सोच समाज में मेहनत-मशक्कत करने वाले मजदूरों को हेय दृष्टि से देखने की मानसिकता पैदा कर दी जाने पर भी असल में ये ही सभ्यता की चालक शक्ति हैं। जबकि इनके घरों में ही घोर अंधकार छाया हुआ है। अधभुखे-कुपोषण के शिकार-अनपढ़-बेइलाज हैं और मौत नित्य इनकी जीवन साथी है।

जानेमाने मजदूर नेता, ऑल इण्डिया यूनाइटिड ट्रेड यूनियन सेण्टर के महासचिव कॉमरेड शंकर साहा ने कहा कि हमारे देश में 18 साल से 60 साल की उम्र वाले लोग, जिन्हें शारीरिक तौर पर काम करने में सक्षम माना जाता है और सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्र में काम करते हैं या स्वरोजगार में लगे मजदूर हैं, ऐसे लोगों की संख्या 55 करोड़ है। इनमें से सिर्फ 6 प्रतिशत लोग ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। बाकी 94 प्रतिशत मजदूर, संख्यागत तौर पर 53 करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र में न तो तयशुदा वेतनमान हैं, न नौकरी की गारण्टी है और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा है। मालिक अधिकतम मुनाफा हड़प कर जितनी भी मामूली से मामूली मजदूरी दे वही इन्हें मान लेनी पड़ती है। नौकरी से निकाल दिये जाने पर यानी छंटनी कर दिये जाने पर प्रतिकार चाहने पर कोई कानूनी अधिकार इनके पास नहीं है। यह कहा जा सकता है कि कोई भी कानूनी अधिकार इनके मामले में लागू नहीं है। न्यूनतम वेतन कानून 1948, जो इस क्षेत्र में लागू होना चाहिए, वह भी सभी राज्यों में ज्यादातर क्षेत्रों में लागू नहीं है। न्यूनतम वेतन है जैसे-तैसे कुछ खा-पी कर पेट भरने और कुछ भी ओढ़-पहन कर जिन्दा रहने लायक मजदूरी। वह भी अगर मजदूरों को नहीं मिले तो फिर वे कैसे जिन्दा रह पायेंगे? उन्होंने कहा कि इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं इसी लिए हम 14 मार्च को लाखों लाख मजदूरों को लेकर संसद पर प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं।

देश के संविधान ने नागरिकों को जिन्दा रहने का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन अगर काम न मिले और उचित मजदूरी की बात तो दूर रही, जिन्दा रहने लायक मजदूरी पाने का भी अधिकार न मिले तो लोग कैसे जिन्दा रहेंगे। देश को आजाद हुए 64 साल हो चुके हैं। आज तक भी रोजगार के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। केन्द्र में सत्तारूढ़ है कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार, जिसमें शामिल हैं तृणमूल सहित कई पार्टियाँ। कांग्रेस-नीत यूपीए की पिछली सरकार को सीपीएम-सीपीआई ने 4 साल समर्थन दिया था। इससे पहले बीजेपी-नीत एनडीए सरकार और सीपीएम-सीपीआई व गैरकांग्रेस, गैरबीजेपी दलों के संयुक्त मोर्चे की सरकार सत्ता में रही। इन्होंने किसी ने भी रोजगार के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के तौर पर मान्यता देने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसे में 14 मार्च को संसद के सामने विशाल जमायत से रोजगार के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार की मान्यता देने की माँग उठाना काफी अहमियत रखता है।

अजीब है हमारा देश। यहाँ करोड़ों करोड़ कार्यक्षम हाथों और स्वस्थ दिमागों को काम माँगने पर भी काम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? कुछ लोग सोचते हैं कि यह शासकों का निकम्मापन है। काम देने के मामले में सरकार की तत्परता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि सब लोगों को रोजगार देने के मामले में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक सीमाबद्धता है।

पूंजीवादी व्यवस्था में मुनाफे के लिए उत्पादन होता है। मुनाफे का स्रोत है अतिरिक्त मूल्य। मजदूर जितनी मात्रा में मेहनत करता है उसका पूरा मूल्य मालिक मजदूरों को नहीं देता है। यह अदा नहीं की गई मजदूरी ही मुनाफा होता है। कम मजदूरी देकर मालिक मुनाफा बढ़ाता है। दूसरे, काम के घण्टे बढ़ा कर मुनाफा लूटता है। तीसरे, प्रति मजदूर उत्पादन क्षमता बढ़ा कर मुनाफा कमाता है। इसके कुल मिला कर नतीजे के तौर पर मजदूरों की खरीदने की क्षमता घट जाती है। बिकाऊ मालों के बाजार में मन्दी छा जाती है। उद्योगीकरण ठप हो जाता है। रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। श्रम आधारित कल-कारखाने बंद हो जाते हैं। बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप ले लेती है। लाखों लाख मजदूर नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसी हालत में पूंजीवादी भूमण्डलीकरण लेकर आया है 'सुधारीकरण' का कार्यक्रम जिसकी मूल बात है कामगारों और रोजगारों को संकुचित करना, श्रम कानूनों को हटा देना, मालिकों के हाथों में 'हायर एण्ड फायर' का बेरोकटोक अधिकार दे देना। कहने की कोई खास जरूरत नहीं है कि सरकार ने यह अधिकार मालिकों को दे भी दिया है। इसलिए संकट और भी गहरा गया है। ऐसे में प्रतिवाद को और भी तेज नहीं किया तो जीवन की यंत्रणा, जिन्दगी में दुख-तकलीफें और भी बढ़ेंगी। इसी लक्ष्य से 14 मार्च को दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है। उस दिन दिल्ली में लाखों लाख लोगों का प्रतिवाद जुलूस माँग करेगा कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करना बंद करो, श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दो। सारे देश के लोगों का विरोध दर्ज कराने के लिए इन माँगों पर हर राज्य में ज्ञापन पर हस्ताक्षर संग्रह अभियान चलाया जा रहा है।

ज्ञापन में ठेकेदारी प्रथा बंद करने की माँग की गई है। कॉन्ट्रेक्ट या ठेका प्रथा है मजदूरों के शोषण का सबसे निकृष्ट उदाहरण। खेत-खलिहानों, कल-कारखानों, खान-खदानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ठेकेदार की मार्फत मजदूरों को काम पर लगाया जाता है। मालिक इनके साथ जो सलूक करते हैं वह दास व्यवस्था जैसा है। इनके काम के घण्टों की कोई सीमा ही नहीं है। न्यूनतम वेतन तो दूर की बात, सालों साल काम करने पर भी इनके लिए न तो कोई छुट्टी की व्यवस्था है और न ही कोई प्रोवीडेन्ट फण्ड (भविष्य निधि) या ग्रेज्युइटी। यहाँ तक कि बीमार हो जाने या काम करते हुए दुर्घटना में घायल हो जाने पर इलाज व मुआवजे के सुयोग-सुविधा से भी वंचित रखे जाते हैं। इनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी यह मुख्य नियोक्ता या ठेकेदार की मनमर्जी पर निर्भर है। केवल निजी मालिकाने वाले क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सरकारी और अर्धसरकारी मालिकाने वाले उद्योगों और प्रतिष्ठानों में भी यह प्रथा व्यापक पैमाने पर व्याप्त है। सरकारी उद्योगों और प्रतिष्ठानों में भी ठेकेदार की मार्फत ठेका मजदूरों को काम पर लगाने के साथ-साथ सीधे ठेके पर मजदूर-कर्मचारी लगाये हुए हैं। असल में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मैनेजरों और कैशियरों को छोड़ कर बाकी लगभग सभी मजदूरों को ठेके पर लगाया हुआ है। मजदूर आन्दोलन की लम्बे अर्से से माँग रही है कि इस बर्बर प्रथा का खात्मा होना चाहिए। लेकिन मालिकों के स्वार्थ में सरकार ने कॉन्ट्रेक्ट लेबर (एबोलिशन एण्ड रेगुलेशन)एक्ट 1970 लागू करके इस प्रथा को ही कानूनबद्ध कर दिया है। इस कानून में ठेका प्रथा उन्मूलन की जो बात कही गई है वह असल में केवल दिखावे के लिए ही है।

इन ठेका मजदूरों को पक्का करने के मामले में सरकार की भूमिका क्या है? दरअसल सरकार खुद ही स्थायी कामकाज में ठेके पर मजदूर-कर्मचारी भर्ती करती जा रही है। केन्द्र व राज्यों के बहुत सारे दफ्तरों और संस्थाओं के मजदूरों के नाम हाजिरी रजिस्टर में नहीं होते। इनको संस्था या कम्पनी के स्थायी मजदूर-कर्मचारियों से बहुत कम वेतन दिया जाता है। बाकी दूसरी सुविधाएं या हितलाभ तो ये कहें कि बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं। कॉन्ट्रेक्ट लेबर (एबोलिशन एण्ड रेगुलेशन)एक्ट 1970 में कहा गया है कि स्थायी काम में ठेके पर मजदूर-कर्मचारी नहीं लगाये जाएं, लगाये जायें तो पक्के मजदूर-कर्मचारियों के समान वेतन और अन्य सुयोग-सुविधाएं व हितलाभ दिये जायें। लेकिन असल में केन्द्र या राज्य सरकार में से कोई भी इस कानून को लागू नहीं कर रही है।

भारत में जीडीपी में मुट्ठी भर पूंजीपतियों का जितना योगदान है उसे कहीं ज्यादा योगदान करोड़ों करोड़ मजदूर-कर्मचारियों का है। जीडीपी में 67 प्रतिशत योगदान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है। जबकि उनके जीवन में इसकी कोई झलक नहीं मिलती है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए केवल नाममात्र की एक सामाजिक सुरक्षा की स्कीम है। पिछले बजट में केन्द्रीय सरकार ने इस खाते में सिर्फ 1000 करोड़ रुपये आबंटित किये थे जिनका ज्यादातर भाग खर्च ही नहीं किया गया। यानी यह मजदूरों तक पहुंचा ही नहीं। दूसरी तरफ मन्दी में फंसे पूंजीपतियों को प्रोत्साहन (स्टीमुलस) पैकेज के तौर पर पिछले बजट में सरकार ने 2 लाख 18 हजार करोड़ रुपये दिये थे। इसके अलावा उनको करोड़ों रुपये की टैक्स छूट, शुल्कों में रियायत का फायदा पहुंचाया गया। मालिक पूंजीपतियों के स्वार्थ में सरकार जितनी दरियादिली दिखाती है, मजदूरों के मामले में उसका लेशमात्र भी नहीं दिखाती है। इसलिए असंगठित क्षेत्र में लगभग 53 करोड़ मजदूरों के जीवन में आज सिर्फ हाहाकार ही मचा हुआ है। तंगहाली-कंगाली-भुखमरी-कुपोषण उनका पीछा ही नहीं छोड़ता है। इनके परिवारों में बच्चा पैदा होते ही मौत का अंधकार देखने लगता है। पैदा होने के बाद उस बच्चे को खाना ठीक से जुटेगा कि नहीं इसकी कोई गारण्टी नहीं है। अधभुखे रह कर जैसे-तैसे जिन्दा रह गया तो पढ़ाई-लिखाई ठीक से कर पायेगा कि नहीं वह भी कोई सुनिश्चित नहीं है। पढ़-लिख जाने पर नौकरी मिलेगी कि नहीं यह भी कोई कह नहीं सकता। किसी तरह अगर नौकरी मिल भी गई तो वह बचेगी कि नहीं यह तो 'भगवान भी नहीं जानता'। नौकरी सही सलामत रही तब भी रिटायर हो जाने पर बुढ़ापे में कैसे दो जून की रोटी जुटेगी, बीमार पड़ जाने पर कैसे दवाइयाँ आयेंगी इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। मौत के इन्तजार में दिन गिनना और आहें भरना – इसी दुष्चक्र में फंस कर रह गया है इनका जीवन।

इस व्यथा-वेदना का खात्मा कैसे होगा?

'किसी तरह प्राणधारण करने, साँसे चलती रहने का नाम जिन्दगी नहीं है।' दरअसल हमारे देश के बहुसंख्यक लोग जैसे-तैसे प्राणधारण करते, दिनों को धक्का देते आ रहे हैं। कई साल पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा बिठाये गये एक आयोग के चेयरमैन अर्जुन सेनगुप्ता ने कहा था कि इस देश के 77 फीसदी लोग गुजर-बसर करने के लिए रोजाना 20 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। यह हिसाब-किताब औसतन लगाया गया हिसाब-किताब है। अमीरों के भोग विलास के भारी ठाठबाट के साथ मजदूर-किसानों के मामूली खर्च को जोड़ कर इस आधार पर जो 20 रुपये औसत खर्च बैठता है, यह साफ दर्शा देता है कि असल में बहुसंख्यक आम आदमी रोजाना और भी कम खर्च करने की क्षमता रखते हैं। इस बेतहाशा बढ़ती महंगाई के जमाने में बाजार में इन थोड़े से रुपयों में क्या गुजर-बसर का कोई भी रास्ता कहीं है?

ऐसे दमघोंटु हालात में देश के भुक्तभोगी आम आदमी क्या सोच रहे हैं? ज्यादातर आम लोगों का बराबर यही सोचविचार है कि वे वोट देकर सरकार बनाते हैं, इसलिए सरकार ही उनके लिए कुछ करेगी। इसी सोचविचार को लेकर वे सालों साल बैठे रहते हैं। लेकिन क्या सरकार अपनी पहलकदमी लेकर उनके लिए कुछ कर रही है? एनडीए गई, यूपीए आ गई, पश्चिम बंगाल में सीपीएम का मोर्चा गया, तृणमूल आ गई–क्या

(शेष पृष्ठ 4 पर)

असंगठित मजदूरों के लिए लागू नहीं होता है कानून ...

(पृष्ठ 3 का शेष)

सचमुच मेहनतकश जनता के हित में कुछ हुआ है? या सरकारी पहल पर सभी कुछ 'मालिकाय नमो' है। सभी सरकारें मेहनतकश जनता की हड़ताल के खिलाफ हैं। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि हड़ताल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि श्रम कानून में हड़ताल करना वैध है। गैर कानूनी काम नहीं है। मालिकों के स्वार्थ में जो कानून हैं उनको सरकार सख्ती से लागू करना, लेकिन जिस कानून में मजदूर-कर्मचारियों के लिए चाहे कोई मामूली सी भी सुविधा दी हुई है उस पर किसी भी हालत में अमल न करना–यह हो गया है सरकार का काम। 'केन्द्रीय कानून मानना होगा' यह कह कर तृणमूल सरकार ने बच्चों को आठवीं तक बिना फेल किये अगली कक्षा में चढ़ा देने की प्रथा लागू कर दी है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित में बनाये गये कानूनों को लागू नहीं कर रही है। इसी तरह आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू नहीं किया जा रहा है जिसके लागू होने से कालाबाजारी-जमाखोरी कुछ तो नियंत्रित होती या महंगाई कुछ तो रुक जाती। इसी से साफ जाहिर हो जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में विधि-विधान, कायदे कानून को सरकार जहाँ मालिकों के स्वार्थ में लागू करती है, वहीं मेहनतकश जनता के हितों को पैरों तले रौंदती भी है। असंगठित मजदूरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वरोजगार में लगा हुआ है। जैसे हॉकर, मोटर वैन चालक, रिक्शा चालक आदि। सरकार इनकी माँगों के प्रति घोर उदासीन है। मजदूरों के बहुत सारे आन्दोलनों के चलते राष्ट्रीय हॉकर नीति तैयार हुई है। इसमें कहा गया है कि बिना पुनर्वास किये बेदखल नहीं किया जा सकता है।। जबकि राज्य-राज्य में सरकार रात के अन्धेरे में बुल्डोजर चला कर रेहड़ी वालों, पटरी पर सामान बेचने वालों, हॉकरों को उजाड़ देती है। मोटरवैन चालकों ने लाइसेन्स देने की अपनी माँगों से सरकार को बारबार अवगत कराया है लेकिन साल दर साल वह माँग उपेक्षित और लम्बित पड़ी है। घरों में सफाई, पोचा-बर्तन का काम करने वाली हजारों हजार महिलाएं परिचारिका का काम करके जैसे-तैसे अपना गुजारा करती हैं। उनको मजदूर का दर्जा देने की माँग भी सरकार ने अभी तक नहीं मानी है।

केन्द्रीय सरकार के ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रोजैक्ट में काम करने वाली 'आशा' कर्मी देश में हजारों हजार हैं। शुरू में 6 तरह के कामों का महीने में 800 रुपये मानदेय या 'इन्सेन्टिव' आबंटित रहने पर भी फिलहाल 36 तरह के काम उन पर थोप दिये गये हैं जबकि इनमें से कइयों का इन्सेन्टिव घटकर 300 या 400 रुपये मासिक रह गया है जो मंत्रियों के एक वक्त के टिफिन यानी चाय-पानी के खर्च से भी कम है। इसी तरह स्कूलों में मिड डे मील वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों व हैल्परों और ग्रामीण चौकीदारों की भी दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है। चाय बागानों में कई साल पहले समझौता हुआ था कि छह दिन काम करवाने पर तीन दिन का वेतन देना पड़ेगा। प्रतिष्ठित यूनियनों ने वह समझौता मान भी लिया । खुदरा व्यापार से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उसमें भी देशी-विदेशी एकाधिकारी घरानों, बड़ी पूंजी की घुसपैठ करवाई जा रही है। पूंजीपतियों की ताबेदार सरकार उनका पलक पांवड़े बिछा कर स्वागत कर रही है। खुदरा व्यापार से जुड़े कई लाख लोग उजड़ने की आशंका से दिन गिन रहे हैं। लिहाजा बचने के लिए जोरदार मजदूर आन्दोलन खड़ा करना सही मायने में जरूरत हो गई है।

सारे भारत भर में इस आन्दोलन की लहर उठाने के लिए एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी सड़कों पर उतरी है। करोड़ों लोगों द्वारा हस्ताक्षरित माँग पत्र लेकर 14 मार्च को दिल्ली में लाखों लोगों की महा रैली होगी। हर प्रांत में इसकी तैयारी चल रही है। मालिक वर्ग के साथ बड़ी-बड़ी राजनैतिक पार्टियाँ और उनकी ट्रेड यूनियनों की समझौतापरस्ती और आन्दोलनविमुखता से निराशा- हताशा के भंवर में फंसे मजदूर इस आन्दोलन की पुकार पर जाग उठे हैं। 'यह सब करके क्या होगा' हिसाबी-किताबी और बुढ़ापे से ग्रस्त मन की इस भावना के विपरीत मजदूर बस्तियों में आवाज उठ रही है 'पड़े पड़े मार नहीं खाते रहेंगे, बल्कि मुकाबला करेंगे मैदाने जंग में'।

पाकिस्तान में ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

उनका सबसे भरोसेमंद कारोबार है 'जेहाद' यानी 'धर्मयुद्ध'। अमेरिकी साम्राज्यवादियों की शह पाये हुए 'जेहाद' के इस कारोबार ने पिछले 40 साल से भी ज्यादा अर्से से लगातार फलते-फूलते हुए अब बहुत बड़ा आकार ले लिया है। फाइव स्टार जाने माने तमाम जनरल और मेजर जनरल अरबपति हो गये हैं और निचले दर्जे के अफसर यानी मेजर रैंक वाले करोड़पति हो गये हैं।

ओबामा प्रशासन (डैमोक्रेट्स) की हरकतों से लगता है कि अफगानिस्तान में भारी अमेरिकी खर्च के बोझ में कुछ कटौती करने के लिए ही ओबामा प्रशासन अफगानिस्तान समस्या को हल करने को बेकरार है। इसलिए ओबामा प्रशासन तहेदिल से चाहता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका से दोस्ताना रुख रखने वाली उनकी पिठ्ठू सरकार बिठायी जाये। लेकिन इसमें कामयाब हो जाने पर पाकिस्तानी जनरलों के जेहाद के मुनाफे पर भारी चोट पड़ेगी। पाकिस्तानी जनरलों को इस कारोबार से हाथ धो लेने पड़ेंगे। इसलिए चाहे जैसे भी हो अफगानिस्तान को लेकर पुराने हालात को ज्यों का त्यों बरकरार रखने के लिए जनरल जी जान से कोशिश करेंगे ही करेंगे। अफगानिस्तान के सवाल पर पाकिस्तान की मौजूदा चुनी हुई सरकार ने काफी हद तक अमेरिकी स्वार्थ के साथ तालमेल बनाये रखने की नीति अपनायी हुई है। इसी को लेकर उसका फौज के साथ टकराव है, द्वन्द्व है।

भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर बनाने को लेकर भी फौज और गैर फौजी सरकार के दरम्यान जबरदस्त टकराव जारी है। पाक सरकार भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहती है जो पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष के बुनियादी रुख-रवैये और चाहत के बिल्कुल उल्ट है। फौज हर कीमत पर कश्मीर मुद्दे को जिन्दा रखना चाहती है ताकि इस झूठे इलजाम को सच के तौर दिखाया जा सके कि पाकिस्तान की सुरक्षा को भारत से खतरा है। तब पाकिस्तानी फौज के बजट में और फौज की तादाद में लगातार हो रही बेहद बढ़ोतरी को जायज ठहराया जा सकेगा। इस तरह पाकिस्तानी फौजी प्रतिष्ठान अपने हाथों में अनाप शनाप ताकत लेकर और सियासत में सीधी भूमिका लेने के जरिये यह साबित कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में फौज की ही चलती है। वही अन्तिम बात कहने की हकदार है। ईरान के सवाल पर पेंटागन / रिपब्लिकनों की नीति को लेकर भी गैर फौजी सरकार और फौज के दरम्यान अच्छा खासा मतभेद कायम है। सर्वविदित है कि अमेरिका में सत्ता के दो केन्द्र मौजूद हैं। एक है व्हाइट हाउस और दूसरा है पेंटागन(सामरिक प्रतिष्ठान)। इसी प्रकार पाकिस्तान में भी सत्ता के दो केन्द्र कायम हो गये हैं। एक है राष्ट्रपति को केन्द्र करके सत्ता का केन्द्र, जिसके पीछे पार्लियामेंट और समाज के प्रगतिशील, उदार जनतांत्रिक ताकतों का समर्थन है। सत्ता का दूसरा केन्द्र है जीएचक्यू(जनरल हैड क्वाटर्स), जिसके पीछे हैं न्यायपालिका (पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट), उग्र धार्मिक कट्टरपंथी और मुल्क की दक्षिणपंथी ताकतें।

पाकिस्तान के इन दो सत्ता केन्द्रों के बीच उपरोक्त टकराव चरम पर पहुंचने के बाद भी मंद पड़ने की बजाय और भी बदतर रूप लेता जा रहा है, यह समझ कर ही अमेरिका के दो में से एक सत्ता केन्द्र पेंटागन पाकिस्तानी फौज के साथ एक नया बन्दोबस्त कर लेना चाहता है ताकि ईरान के खिलाफ सम्भावित अमेरिकी फौजी कार्रवाई शुरू होने पर पाकिस्तानी फौज के कर्ता धर्ता हथियार-रसद और युद्ध के दूसरे साजोसामान की सप्लाई करके अमेरिकी फौज को मदद दे सकें। दूसरी तरफ, गैर फौजी सरकार जैसे भी हो व्हाइट हाउस को समझा बुझा कर ईरान पर होने वाले अमेरिकी हमले को रुकवाने की कोशिश में है। अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तानी फौज की रणनीति नाकाम हो गई। इसके नतीजतन भारत ने अपनी भूमिका बढ़ा ली है। ये हालात पाकिस्तान को पेंटागन के सामने आत्म समर्पण करने को मजबूर कर देंगे।

लेकिन आईएमएफ और विश्व बैंक की साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों को लेकर इनके दरम्यान लेशमात्र भी मतभेद नहीं है। इधर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट कोई न कोई बहाना बना कर गैर फौजी सरकार को कठघरे में खड़ा करके गैर फौजी हुकूमत को नाकाम साबित करने पर तुली हुई है। हालाँकि जनस्वार्थ रक्षा, बलुचिस्तान में फौजी कार्रवाई व कत्लेआम, हजारों हजार राजनैतिक कार्यकर्ताओं को मारना-पीटना, घायल कर देना, हत्या कर देना, राजनैतिक मामलों में आईएसआई की बेजा दखलअन्दाजी जैसे मामलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट गूँगी-बहरी बनी हुई है। इसी वजह से पाकिस्तानी समाज का एक बहुत बड़ा जागरूक तबका प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को 'लेफ्टीनेंट जनरल इफ्तिखार मौहम्मद चौधरी' कहने लगा है।

घोर राजनैतिक अक्षमता, भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार के साथ ही मौजूदा पाकिस्तानी सरकार साम्राज्यवादी आर्थिक संस्थाओं का हुक्म मान कर चल रही है। इन सब के नतीजतन मुद्रास्फीति, महंगाई आसमान छू रही है। सेवा क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र में जबरदस्त संकट मुँह बाये खड़ा है।

पाकिस्तान में जब भी कोई चुनी हुई सरकार सत्ता में रहती है, तब मुल्क की प्रगतिशील, वामपंथी और साम्यवादी ताकतें एक साथ मिल कर कोशिश करती हैं कि सरकार को जनतांत्रिक तौर तरीकों की लीक पर कायम रखा जाये। फिर साथ ही साथ यह तरीका भी खोजती हैं कि किस तरह साम्राज्यवादी आर्थिक संस्थाओं और सामरिक प्रतिष्ठानों का हुक्म मान कर चलने के दबाव से सरकार को मुक्त रखा जाये। दूसरी तरफ, फौजी अफसरशाही कोई न कोई बहाना बना कर चुनी हुई सरकार को गिरा देने की साजिश रचती रहती है। इन हालात में चुनी हुई व्यवस्था की रक्षा करने के लिए लोकपरस्त ताकतों को एक कदम पीछे हट कर जोरदार ताकत लगानी पड़ती है। वरना, अगर एक चुनी हुई सरकार का समय से पहले ही पतन कराने में वे कामयाब हो जायें तो प्रगतिशील और वामपंथी ताकतों को वर्ग-संघर्ष के कार्यक्रम से दो कदम पीछे हट कर तानाशाही के खिलाफ लड़ाई को ही प्रधान बनाना पड़ेगा और इसके लिए यहाँ तक कि शासक गुटों से, न चाहते हुए भी दोस्ती करनी पड़ती है। क्योंकि तानाशाही हुकूमत न केवल जनवादी अधिकारों का गला घोंट देती है, बल्कि युद्धोन्मादी जेहादियों और तमाम दूसरी दकियानुसी ताकतों को भी फिर से लामबंद होने और धर्मयुद्ध के बदनाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपना मनहूस सिर उठाने में मदद करती है। नतीजतन, धर्मान्धता का अन्धकार सारे समाज पर छा जाता है।

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान का यह रुख है कि चुनी हुई सरकार को पूरे कार्यकाल के लिए रहने दिया जाये। सत्ता से उसे हटाने की ताकत और हक सिर्फ जनता के हाथ में रहे। वोट से हो या बगावत से हो या किसी दूसरे तरीके से हो, सिर्फ जनता ही सरकार को हटाने की हकदार हो। मौजूदा पेचीदा हालात में चुनी हुई सरकार पर भयंकर खतरा मंडरा रहा है, इसके अलावा चुनावों के नाम पर इमरान खान की अगुआई में मुल्क

(शेष पृष्ठ 5 पर)

भाजपा एक अलग तरह की पार्टी : दावा और सच्चाई

भाजपा का एक अलग किस्म की पार्टी होने का स्वघोषित दावा एक बार फिर अपनी भिन्नता के साथ उजागर हुआ है। या उल्टे इसने यह साबित कर दिया है कि यह दूसरों से कितनी भिन्न है। कर्नाटक में पार्टी के तीन विधायक जिनमें से दो मंत्री थे, संसदीय लोकतंत्र के पवित्र स्थल विधानसभा के अन्दर अश्लील विडियो देखने के काम में लिप्त थे जबकि अधिवेशन सत्र चल रहा था। उनमें से एक ने दूसरों को अपने सेल फोन से एक विडियो भेजा जो एक बेहूदा पार्टी का था जिसे ''रेव पार्टी'' कहते हैं जिसमें विदेशी भी शामिल थे। यह 3 फरवरी को उदुपी में हुई थी, पहले ही इससे राज्य में गलत असर पड़ रहा है। दो अन्य जो मुख्यमंत्री और कानून मंत्री के ठीक पीछे बैठे थे वे इस तोहफे को पाकर इसमें मग्न हो गये और मीडिया ने उन्हें इस चुहल और चक्कलस में व्यस्त देख कर इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया और देशभर में प्रसारित कर दिया।

जैसा कि बताया गया अपराधियों ने यह बहाना बना कर समझाने की कोशिश की कि सदन में इस बारे में हो सकता है कोई बहस हो जाए इसलिए वे ''रेव पार्टी'' के तथ्यों से खुद को वाकिफ करा रहे थे। लेकिन देशव्यापी हलचल और उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों में पार्टी की चुनावी सम्भावनाओं पर इसके पड़ने वाले असर की वजह से भाजपा नेतृत्व गलती करने वाले विधायकों से इस्तिफा लेने को मजबूर हुआ। ये बात बड़ी अजीब लगती है कि कैसे एक घटना की जाँच करने और रिपोर्ट सौंपने में पार्टी को एक महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया जिसे बारीकी से रिकार्ड किया गया था और इतनी स्पष्टता के साथ देशभर में दिखाया गया था। सम्बन्धित विधायक खुद को इन तथ्यों से संतुष्ट कर सकते हैं कि हालाँकि विधायकों द्वारा सार्वजनिक रूप से अश्लील विडियो देखना जाहिरा तौर पर खास है और इस तरह 'भिन्न' यानी 'अलग' है और हालाँकि यह एक आपराधिक मामला है जिसके लिए कोर्ट केस हो सकता है। उनका यह कार्य अनैतिकता और अश्लीलता, भ्रष्टाचार कानून को धता बताने और ऐसे ही दूसरे अपराधों को आये दिन इस या उस प्रमुख पार्टियों के इस या उस राजनेता द्वारा अंजाम दिया जाता है जो देश के बुर्जुआ लोकतंत्र में अपना दबदबा रखते हैं उनकी उनकी काली करतूतों की लम्बी फेहरिस्त में यह महज एक इजाफा ही है। सिर्फ राजनेता ही क्यों , राजसत्ता के किसी भी अगुआ अंग, वह चाहे अफसरशाही हो या कार्यपालिका, फौज हो या पुलिस-प्रशासन सहित सुरक्षा बलों की तमाम ब्राँचें, यहाँ तक कि न्यायपालिका भी यह दावा नहीं कर सकती कि इसमें कोई भ्रष्ट या अनैतिक चरित्र शामिल नहीं है। भारतीय एकाधिकारी पूंजीपति दुनिया में सबसे अमीरों की सूची में अच्छी खासी तादाद में शामिल हैं और 500 अरब रुपये के काले धन में उनका हिस्सा भी बहुत बड़ा है। मौजूदा मामले के दोषी इस बात से संतोष प्राप्त कर सकते हैं कि कर्नाटक में एक पूर्व मंत्री समेत अपनी खुद की पार्टी के 15 विधायकों में उनका नम्बर सबसे बाद में आता है जिन्हें भ्रष्टाचार, बलात्कार, गैर कानूनी धंधों आदि के आरोपों के कारण बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। इसलिए असल में यह कुछ अलग नहीं था।

मीडिया ने इस घटना व इसके असर को पेश किया। लेकिन वे भी इस बिन्दु को नजरअंदाज भले ही न करते हों, लेकिन इससे बचते जरूर नजर आये। यह देश की पूंजीवादी व्यवस्था है जो अब असमाधेय आर्थिक-राजनैतिक-सामाजिक संकट में धंसी हुई है यही हर पल सत्ता और धन के लिए बेलगाम और न बुझने वाली पिपासा को भड़का रही है। यह बदले में भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक-नैतिक पतन, दुस्साहसी उदण्डता और धोंसपट्टी की अदम्य चाह पैदा कर रही है। इसी के चलत विधायक विधानसभा में बैठकर बेखौफ अश्लीलता का मजा लेते रहे इस बात से बेखबर कि चारों तरफ क्या हो रहा है।

खास बात तो यह है कि बुर्जुआ पार्टियों की बात तो दूर, जो खुद के बड़ी वामपंथी पार्टी होने का दावा करती हैं उनको इस घृणित घटना से कोई ज्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं है जिसमें संसदीय राजनीति के उनके सहयोगी दल संलिप्त हैं। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) से सम्बद्ध जन संगठन कर्नाटक में इस घटना का जोरदार प्रतिवाद करने के लिए आगे आये हैं इस सच्चाई पर मुहर लगााने के लिए कि एक क्रान्तिकारी पार्टी ही सांस्कृतिक -नैतिक पतन के खिलाफ आन्दोलन का बीड़ा उठाने से नहीं चूकती है चाहे उसकी ताकत कितनी ही क्यों न हो।

बैंगलोर, कर्नाटक में प्रतिवाद करते हुए ऑल इण्डिया एमएसएस, डीएसओ और डीवाईओ कार्यकर्ता

पाकिस्तान में ...

(पृष्ठ 4 का शेष)

के तमाम तथाकथित 'मोडरेटों' यानी 'उदारवादियों' जो असल में घोर उग्र कट्टरपंथी धर्मान्ध ताकतें हैं, उनकों लामबंद करने की जिम्मेदारी फौज ने ले ली है। दूसरी तरफ, इसके साथ-साथ ''जमात-उद-दावा'' (लश्कर-ए-तोयबा) को केन्द्र करके तमाम राजनैतिक जेहादी और घोर दक्षिणपंथी ताकतों को लेकर 'पाकिस्तान की सुरक्षा परिषद' के नाम पर लामबंद करने की कोशिश हो रही है जो आखिरकार बहुत जल्द ही पाकिस्तान को एक मध्ययुगीन धार्मिक राष्ट्र में तब्दील करके छोड़ेगा। पाकिस्तान में प्रगतिशील और जनवादी ताकतों का जीवन जबरदस्त खतरे में पड़ जाएगा। राष्ट्र संचालन में पाकिस्तान कट्टरपंथियों के खौफनाक धर्मयुद्ध का उपकेन्द्र बन जाएगा।

पाकिस्तानी समाज की वामपंथी जनवादी ताकतें, बलुचिस्तानी वामपंथी राष्ट्रवादी ताकतें, शिया सम्प्रदाय और धार्मिक अल्पसंख्यक ताकतें मौजूदा सरकार का समर्थन करती हैं। इसके पीछे जो मजबूरी काम करती है उसका जिक्र पहले ही किया जा चुका है। ये तमाम ताकतें एक आवाज में कह रही हैं कि चुनी हुई सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद ही चुनाव कराये जायें। उनके इसी रुख की वजह से उन पर इसी दौरान धार्मिक उग्रवादियों का बेरहम जुल्मो-सितम, भयदोहन और उत्पीड़न शुरू हो गया है।

इस तरह पाकिस्तान में दो धड़े, दो पक्ष आमने-सामने खड़े हैं। एक तरफ हैं जनता के वोट देने के अधिकार में यकीन रखने वाली निहत्थी और कमजोर आवाज वाली प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी ताकतें। दूसरी तरफ हैं सुप्रीम कोर्ट की शह पाये हुए हथियारबंद फौजी अदारे और उनकी मददगार सिर से पाँवों तक हथियारों से लैस जेहादी वाहिनियाँ। दोनें के बीच टकराव बहुत तेज होता जा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जनवादी ताकतें बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ी हैं। क्योंकि जिस चुनी हुई सरकार को वे बरकरार रखना चाहती हैं, उसकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से जनता का उस सरकार पर से भरोसा उठता जा रहा है।

इन हालात में हम ट्रेड यूनियन आन्दोलन, किसान आन्दोलन, महिला आन्दोलन और छात्र आन्दोलन को एक लोकप्रिय फ्रंट में लामबंद करके, बेपरवाह फासिस्ट ताकतों के खिलाफ जद्दोजहद छेड़ना चाह रहे हैं। कम्युनिस्टों का फर्ज है कि अपने फ्रंटल संगठनों को मौजूदा हालात के मुताबिक ढालें ताकि समाज में जनता की वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति को पैदा किया जा सके। इसके लिए वामपंथी ताकतों को न्यूनतम साझे कार्यक्रम के आधार पर लामबंद होकर मजदूर सम्मेलन, किसान सम्मेलन, छात्र सम्मेलन, महिला सम्मेलन आयोजित करते हुए इन सब तबकों के नागरिक अधिकारों की माँगों को उठाना होगा। फिलहाल वामपंथियों का यही मुख्य कार्यक्रम होना चाहिए।

इस तरह ताकत जुटाते हुए और मजबूती हासिल करते हुए उसके आधार पर अगले चरण में वामपंथियों की जिम्मेदारी होगी कि मुल्क की बाकी दूसरी धर्मनिरपेक्ष जनवादी ताकतों के साथ आपसी सहयोग और साझे कार्यक्रम का सम्बन्ध कायम करना। निर्वाचित व्यवस्था को आने वाले समय में स्थायी जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में तब्दील करने और इस इलाके के अन्दर और बाहर अमन-चैन कायम करने के इसी रास्ते पर हमें चलना होगा।

पानी का निजीकरण...

(पृष्ठ 1 का शेष)

लिया जा सकता थ।। हालाँकि बाद में आन्दोलन के दबाव में सरकार इस फैसले को बदलने पर मजबूर हुई। 1999 में चेन्नई, पूना, बैंगलोर, हैदराबाद में गैर सरकारी तौर पर पानी सप्लाई की व्यवस्था शुरू हो गई थी। पानी ऊपर उठाने, सप्लाई करने, पानी का टैक्स तय करने, सब कुछ करने का अधिकार व्यापारियों को दे दिया गया था। इसके तुरन्त बाद ही यह फैसला लिया गया कि देश की राजधानी दिल्ली में भी पानी का निजीकरण किया जाएगा। इसके लिए पानी की बहुराष्ट्रीय बड़ी व्यापारिक कम्पनी को बुलाया गया। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस या बीजेपी में से जिसकी भी सरकार रही हो, पानी के निजीकरण की कोशिश करती ही जा रही हैं। हाल ही में दिल्ली में पानी के निजीकरण के खिलाफ एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतरे थे। प्रसिद्ध बुद्धिजीवी भी इस आन्दोलन में शामिल हुए बिना नहीं रह सके। जस्टिस राजेन्द्र सच्चर जैसी नामी हस्ती ने भी रोष प्रदर्शन में भाग लिया था। क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि पानी को लेकर व्यापार करने का नतीजा बहुत ही खतरनाक होगा। आम आदमी का जिन्दा रहने का न्यूनतम अधिकार भी चला जाएगा।

2003 में तमिलनाडु के सिलेसिलाये वस्त्रों, पौशाकों की औद्योगिक नगरी तिरूपुर की पानी सप्लाई और सफाई के लिए भारतीय कम्पनी महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा की 'यूनाइटिड इन्टरनेशनल नॉर्थ वैस्ट वाटर', अमेरिकी पानी व्यापारिक कम्पनी 'बेचटेल' और ब्रिटेन की 'यूनाइटिड युटिलिटीज' एक साथ पानी के व्यापार के क्षेत्र में उतरी थी। कस्बे के वस्त्र कारखानों द्वारा इस्तेमाल किया गया पानी और कचरा जमीन के नीचे से निकलने वाले पानी को इस हद तक दूषित कर रहा है कि लोग जमीन के नीचे से निकलने वाले पानी को पी नहीं सकते हैं। नतीजतन, यहाँ के लोग खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं। सरकार और पानी के व्यापारी ठीक इसी का फायदा उठा रहे हैं।

2002 में भाजपा के शासनकाल में राष्ट्रीय जल स्रोत परिषद की एक बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ''पानी राष्ट्रीय सम्पदा है, आम आदमी इसका असल हकदार है–हमारी राष्ट्रीय जल नीति इसी मूलाधार पर खड़ी है।'' हालाँकि उसी साल वाजपेयी सरकार ने पानी के व्यापार की खातिर निजी व्यापारियों को न्यौता दिया था। जल स्रोतों को लेकर उनका 'बिल्ड, ओन, ऑपरेट, लीज एण्ड ट्रांसफर' की पद्धति के तहत कारोबार करने का उन्हें मौका दिया गया था। वाजपेयी सरकार की तरफ से इसके लिए निजी मालिकों को टैक्स में छूट दिये जाने का भी ऐलान किया गया था। केन्द्र की मौजूदा कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार भी इसी रास्ते चल रही है।

लेकिन सरकार पानी को निजी मालिकों के हाथों में क्यों सौंप रही है? अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के कर्जदार पिछड़े मुल्कों को कर्ज जाल में फंसा कर कर्जे की शर्त के तौर पर विश्व बैंक, आईएमएफ जिस तरह पानी के निजीकरण के लिए दबाव डाल रहे हैं, उसी तरह भारत पर भी दबाव डाला जा रहा है–ऐसा सोचना तो अति सरलीकरण होगा। भारत के बड़ी पूंजी के मालिक मन्दीग्रस्त बाजार में परम्परागत उद्योग-धंधों में पूंजी न लगा पाने की वजह से पानी सहित विभिन्न सेवाक्षेत्रों में घुसना चाह रहे हैं। इसीलिए सरकार भी भारतीय पूंजी के स्वार्थ में पानी के निजीकरण का रास्ता अपना रही है।

दुनिया में जगह-जगह पानी के निजीकरण की शुरूआत अस्सी के दशक के आखिरी दिनों में हुई थी। ब्रिटेन में 1989 में मार्गेट थेचर की सरकार ने पानी का निजीकरण किया था। इसके चलते 1989 से 1995 के दौरान पानी के दाम 67 प्रतिशत बढ़ गये थे। पानी के

दाम इतने ज्यादा बढ़ जाने की वजह से 77 फीसदी उपभोक्ताओं ने पानी के कनैक्शन कटवा दिये थे। स्वच्छ पानी की सप्लाई का आश्वासन देकर पानी व्यापारियों के पानी व्यापार में उतरने पर भी पानी की गुणवत्ता लगातार बद से बदतर होती गई। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट में इसकी निन्दा करते हुए कहा कि पानी के निजीकरण के नतीजतन पेचिश के मामले छह गुना बढ़ गये हैं। 1990 में दुनिया भर की 12 कम्पनियाँ पानी के व्यापार में कूद पड़ी। वर्ष 2000 के मध्य तक पानी का व्यापार करने वाली संस्थाओं द्वारा 100 मुल्कों की लगभग 10 फीसदी से ज्यादा जल सम्पदा का निजीकरण हो गया। विकसित, विकासशील, पिछड़े लगभग तमाम मुल्कों में अकूत पूंजी के मालिकों ने इस सेवा को अपने कब्जे में लेना जारी रखा। इसके चलते मोरक्को के शहर कासाब्लांका में तीन गुना दाम बढ़ गये। अर्जेन्टिना की सरकार द्वारा संचालित जल आपूर्ति संस्था को फ्रांसिसी बहुर्राष्ट्रीय कम्पनी स्वेज लाओनेस डेस इयोक्स ने खरीद लिया था जिससे पानी के दाम दुगुने हो गये और लोगों ने दाम देने से इनकार कर दिया। आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। नतीजतन, प्राइवेट कम्पनी को मुल्क छोड़ कर जाना पड़ा। न्यूजीलैण्ड में लोग पानी के निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतर आये। इंग्लैण्ड में पानी के दाम 450 गुना बढ़ा देने से कम्पनी का मुनाफा 692 फीसदी बढ़ गया था। कम्पनी के अफसरों का वेतन 708 फीसदी बढ़ गया था। हालात अगर ऐसे हों तो यह समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि निजीकरण का फायदा किनको हो रहा है।

पानी के कारोबार में घुसने के लिए तमाम मुल्कों में सरकारी साफ-स्वच्छ पानी की सप्लाई व्यवस्था को धीरे-धीरे ध्वस्त कर देने की एक घिनौनी साजिश जारी है। उद्योगों, कल-कारखानों द्वारा अपने अत्यन्त दूषित कचरे को पानी के स्रोतों में फैंके जाने पर भी सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। नतीजतन, नदी-नाले, कुए-तालाब दूषित हो जाते हैं। इसके अलावा, सिंचाई के लिए कम गहरे ट्यूबवैल बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किये जाने की व्यवस्था से जमीन से नीचे के पानी में घातक आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि का प्रदूषण होता रहता है। भारत में हरित क्रान्ति के नाम पर यही हो रहा है। इसलिए लोगों को दूषित पानी का भय दिखा कर बहुत ही आसानी से स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करने का लोभ देकर सरकार और पानी की बड़ी-बी व्यापारिक कम्पनियाँ पानी के निजीकरण के पक्ष में लोगों को खींच लाना चाहती हैं। हालाँकि तमाम मुल्कों के तजुर्बे से देखने में आ रहा है कि पानी के निजीकरण के चलते असल में स्वच्छ पेयजल तो लोगों को मिल रहा ही नहीं है उल्टे महंगे दाम चुका कर उन्हें पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

लोग अब अपने असली तजुर्बे से यह बात समझते जा रहे हैं। दुनियाँ के कई शहरों और गाँवों में इसके खिलाफ प्रतिवादी प्रतिरोधी आन्दोलन गठित हो रहे हैं। ऐसी घटना बॉलिविया के कोचाबाम्बा शहर में देखने को मिली है। बॉलिविया के अर्धमरूस्थल शहर कोचाबाम्बा की नगरपालिका ने 1999 में विश्व बैंक की सिफारिश के मुताबिक बहुराष्ट्रीय अमेरिकी जल व्यवसायी कम्पनी 'बेचटेल' (Bechtel)को पानी सप्लाई के कारोबार में घुसने दिया गया। इससे वहाँ पानी के दाम हर महीना 20 डालर हो गये, वहाँ एक उपभोक्ता की आये महीना आमदनी 100 डालर होती है। नतीजतन, खाने-पीने की चीजों में से कौन सी खरीदे यह तय करने में लोग पेशोपेश में पड़ गये। लोगों का जबरदस्त रोष फूट पड़ा। नागरिक कमेटियाँ गठित की गई। जलसे-जुलूस सब कुछ चलते रहे। कर्फ्यु भी लगा। यहाँ तक कि सरकार ने बागियों को दबाने के लिए मार्शल लॉ भी लागू कर दिया। प्रचार माध्यमों पर सेंसर की केंची चलाई गई। एक 17 साल के किशोर समेत तीन प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून डाला गया। कई लोग घायल हुए और कइयों को जेल में ठूंस दिया गया। आन्दोलन चरम सीमा पर पहुंच गया। आखिरकार सरकार को हार माननी पड़ी। कम्पनी वापस चली गई।

14 मार्च को दिल्ली के राजपथ पर विशाल जुलूस से भी नारा बुलंद होगा कि पानी का अधिकार छीन लेने का फैसला हम किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। जान देकर भी हम इस फैसले को रुकवायेंगे। जल सम्पदा, खनिज सम्पदा, वन सम्पदा के अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे। लाखों लोग जुलूस में शामिल होंगे। उनके साथ रहेंगे भारत के विभिन्न प्रांतों के करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर। इस प्रतिवाद प्रतिरोध आन्दोलन में आइये आप भी साथ दीजिए। ● ●

महिला सम्मेलन आयोजित

रोहतक (हरियाणा) : महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने की माँग को लेकर यहाँ स्थानीय छोटूराम पार्क में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में जिला की महिलाओं ने भागीदारी की। सम्मेलन की अध्यक्षता महिला सांस्कृतिक संगठन की जिला प्रधान कॉमरेड कान्ता शर्मा ने की।

सम्मेलन की मुख्य वक्ता कॉमरेड रीतु कौशिक, संयोजक, ऑल इण्डिया एम.एस.एस., दिल्ली राज्य ने अपने भाषण में कहा कि उन पर होने वाले अन्याय-अत्याचारों के खिलाफ जब तक महिलाएं स्वयं नहीं उठ खड़ी होंगी, तब तक यह अन्याय-अत्याचार खत्म नहीं होगा। संगठन की हरियाणा राज्य संयोजक कॉमरेड सन्तोष श्योराण ने भ्रूण हत्या, ऑनर कीलिंग को सभ्य समाज पर कलंक बताया। महिलाएं समाज में दोहरे शोषण की शिकार हैं– एक तो उन पर पुरुष प्रधान समाज के आधिपत्य और दूसरे पूंजीवादी शोषण के चलते उनकी शोषण के खिलाफ लड़ाई और भी पेचीदा है।

सम्मेलन को रोशनी शर्मा, निशा, रोशनी चौधरी, उर्मिला देवी, सन्तोष शर्मा आदि ने भी सम्बोधित किया।

नेताजी जयन्ती पर कार्यक्रम

झारखण्ड राज्य के सरायकेला-खरसावाँ जिले के आदित्यपुर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 115वीं जयन्ती मनायी गई। यह कार्यक्रम युवा संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन एवं नेताजी जयन्ती समारोह समिति, आदित्यपुर के तत्वावधान में पूर्ण मर्यादा के साथ मनाया गया। इस मौके पर छात्र-छात्राओं को लेकर विभिन्न प्रतियोगितायें एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये।

22 जनवरी को आदित्यपुर के विभिन्न स्थानों पर चित्रांकन, एकल एवं समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेताजी के जीवन-संग्राम एवं उनके आदर्श के विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

23 जनवरी को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में नेताजी की छवि पर पहले ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉ. बिपिन बिहारी मंडल, नेताजी जयन्ती समारोह समिति की तरफ से अध्यक्ष विरेन्द्र कुमार सिंह तथा अनिल कुमार झा ने माल्यार्पण किया। इनके अलावा एसयूसीआई(सी) के सरायकेला-खरसावाँ जिला इंचार्ज कॉ. लिली दास, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन से सुशांत सरकार, गौतम महतो, रूपा सरकार, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंटस ऑर्गेनाइजेशन से कॉ. विष्णु देवगिरी, राजू कुमार सिंह, एवं स्थानीय युवक धरमात्मा प्रसाद सिंह, मनोज कुमार, विशाल कुमार, संतोष कुमार, विशाल तिवारी, अजय चौहान, सुधीर कुमार एवं आशीष कुमार आदि ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

26 जनवरी को शिव मंदिर दुर्गा पूजा मैदान, रोड नं. 3 के करीब, आदित्यपुर-1 में नेताजी की 115वीं जयंती के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में करीम सिटी कॉलेज के हिन्दी विभाग के प्रोफेसर सुभाष चन्द्र गुप्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के सभापति के तौर पर श्री राम निवास सिंह (कविजी), समाजसेवी लीलि दास, नेताजी जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह के अलावा आल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जिला सचिव सुशांत सरकार भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरूआत नेताजी की तसवीर पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद बच्चों द्वारा स्वागत गान के रूप में ''कदम-कदम बढ़ाये जा'' गीत प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात विशाल कुमार ने सांगठनिक रिपोर्ट पेश की। मुख्य अतिथि प्रो. सुभाष चन्द्र गुप्ता ने अपना वक्तव्य पेश करते हुए समाजवादी व्यवस्था की वकालत की एवं नेताजी के आदर्शों को अपने जीवन में ढालने पर जोर दिया। मुख्य अतिथि के अलावा लीलि दास, सुशांत सरकार एवं कुमुद रंजन ने भी सभा को सम्बोधित करते हुए नेताजी के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने पर जोर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कई क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किये गये।

अन्त में नेताजी जयंती समारोह समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। जिसमें चित्रांकन में ग्रुप - ए के सूरज कुमार-प्रथम, रिषभ राय-द्वितीय और सौम्या श्रुति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चित्रांकन के लिए ग्रुप -ए से रितु कुमारी, कुमार गौतम, नंदिता, अंकित, और ज्योति कुमार को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। चित्रांकन में ग्रुप - बी के प्रशांत कुमार-प्रथम, दीपक कुमार-द्वितीय और प्रियंका पॉल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चित्रांकन में ग्रुप - सी के प्रोसेनजीत नन्दी-प्रथम, प्रियंका कुमारी-द्वितीय और उदय चौधरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में स्कूल ग्रुप के लिए प्रथम स्थान सुमित झा, द्वितीय स्थान प्रियंका कुमारी और तृतीय स्थान सारा समशेर ने प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में कॉलेज ग्रुप में प्रथम स्थान अभय प्रताप, द्वितीय स्थान नेहा समशेर और तृतीय स्थान सबीना परवीन ने प्राप्त किया। एकल गीत प्रतियोगिता में स्कूल ग्रुप से अदिति विनीत ने प्रथम स्थान, आदित्य सिंह दीप और अंजु कुमारी थापा ने संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान और कमल मिश्रा, प्रोसेनजीत नन्दी और आशीष राज थापा ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। एकल गीत प्रतियोगिता में कॉलेज ग्रुप से विवेक कुमार ने पहला स्थान प्राप्त किया। समूह गीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आशीष राज थापा और साथी, द्वितीय स्थान सोनाली दास गुप्ता और साथी और तृतीय स्थान निधि झा और साथी ने प्राप्त किया।

सभा के सभापति श्रीरामनिवास सिंह जी ने अन्त में धन्यवाद ज्ञापन दिया और सभा के समापन की घोषणा की। सभा का संचालन छात्र नेता विष्णु देव गिरी ने किया।

दिल्ली : 23 जनवरी को नेताजी जयंती पर एआईएमएसएस की ब्रिज विहार इकाई द्वारा महिलाओं की खेल प्रतियोगिता कराई गई। इसके बाद वहाँ हुई सभा को एसयूसीआई(सी) के राज्य सचिवमंडल सदस्य कॉ. आर.के. शर्मा के अलावा कॉमरेडस सीता सिंह, शुभा दीक्षित, रीतु कौशिक व उमाशंकर उपाध्याय ने सम्बोधित किया।

संगठन द्वारा सोनिया विहार में भी नेताजी जयंती मनायी गई।

गुजरात : नेताजी स्मृति सभा आयोजित

नेताजी जयंती पर सभा को सम्बोधित करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के गुजरात राज्य सचिव कॉ. द्वारिकानाथ रथ

कॉमरेड बाबू लाल रजवार लाल सलाम

19 जनवरी, 2012 को कॉमरेड बाबू लाल रजवार का पारालाईसिस (लकवा) के चलते निधन हो गया। उनकी उम्र 65 वर्ष थी। 80 के दशक में कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों से प्रभावित होकर पार्टी का काम-काज शुरू किया। उनका काम-काज बोकारो जिला के चन्दनकियारी प्रखण्ड में बरमसिया क्षेत्र रहा। वे पार्टी के एक निष्ठावान एवं ईमानदार कार्यकर्ता थे। खेत मजदूरों के बीच काम करते-करते पार्टी ने उन्हें सदस्यता दी। बाद में वे लोकल कमिटी के सदस्य चुने गये। इस क्षेत्र के दबंग एवं जोरदार लोगों द्वारा गरीबों की जमीन हड़पने, सरकारी तालाब को दखल करने के खिलाफ तथा खेत मजदूरों की मजदूरी की मांगों को लेकर हुए आन्दोलन में मुकदमा बन जाने पर पार्टी के अन्य साथियों के साथ जेल में भी बन्द रहे। जैसा कि एक पार्टी का सच्चा सिपाही एक कार्यकर्ता होना चाहिए, वे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम एवं आन्दोलन में आगे रहते थे।

4 फरवरी को एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के पार्टी कार्यालय बरमसिया में कॉमरेड कुमुद महतो की अध्यक्षता में श्रद्धांजली सभा आयोजित की गयी। पार्टी की जिला कमिटी के सदस्य कॉमरेड राम लाल महतो व कॉमरेड हरिपद महतो ने उनके जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड आर. एस. शर्मा ने कहा कि पार्टी द्वारा दिखाये गये विचार एवं आदर्श को जीवन में लागू करने से ही एकमात्र गारंटी है कि जीवन की अंतिम साँस तक अपने को सही रखा जा सकता है। इसे कॉमरेड बाबू लाल रजवार ने अपने जीवन में लागू किया। तंगी की हालत में भूखे रहते हुए भी उन्होंने पार्टी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखी। यही कॉमरेड बाबू लाल रजवार से सीखने को मिलता है। इस श्रद्धांजली सभा में इनके परिवारजन भी शामिल थे।

28 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल की तैयारी में सभा

जयपुर (राजस्थान) : देश में बढ़ती महंगाई को रोकने और श्रम कानूनों की पालना के लिए केन्द्र सरकार की जनविरोधी और मजदूर-विरोधी नीतियों के विरोध में 3 फरवरी को यहाँ एक आम सभा की गई। ऑल इण्डिया यू.टी.यू.सी. के उपाध्यक्ष कॉमरेड गिरजेश्वर सिंह ने इस आम सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि यह बड़े हर्ष की बात है कि सभी पार्टियों से जुड़ी ट्रेड यूनियनें धर्म-मजहब, क्षेत्रीयता और जात-पात से ऊपर उठ कर आज एक मंच पर आयी हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व श्रम कानूनों के सरासर उल्लंघन से मजदूरों के लिए एक दमघोंटु स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी विषम स्थिति में उन्नत सांस्कृतिक-नैतिकमान पर विकल्प की राजनैतिक शक्ति को जन्म देने वाला जन आन्दोलन ही एकमात्र अवलम्ब है जो सरकार को मजदूरों की न्यायसंगत माँगों को मानने के लिए बाध्य कर सकता है। उन्होंने हड़ताल को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ इसकी तैयारी के काम में जुट जाने का लोगों से पुरजोर आह्वान किया।

श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 10,000 रुपये मासिक करने, महंगाई पर रोक लगाने, ठेका प्रथा बंद करने, बेरोजगारी खत्म करने, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश पर रोक लगाने, श्रम कानून सख्ती से लागू करने आदि 10 माँगों को लेकर यह देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। इस सभा में सांसद व एटक के महासचिव गुरुदास गुप्ता, बी.एम.एस. के राष्ट्रीय महासचिव बी.एन. राय, इन्टक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद संजीवा रेड्डी समेत देश-प्रदेश स्तर के कई नेताओं ने अपनी बात रखी। सभी वक्ताओं ने 28 फरवरी की हड़ताल को सफल बनाने की पुरजोर अपील की।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly Date of Printing : 20 Feb., 2012

14 मार्च–दिल्ली चलो मुहीम की तैयारी में केरल में निकला जत्था

प्रधानमंत्री को सौंपे जाने वाले मांगपत्र पर अपने हस्ताक्षर करें

– मांगें –

1) आकाश छूती मंहगाई पर रोक लगाओ। अनाज व जरूरी चीजों के थोक व खुदरा व्यापार को सरकार अपने हाथ में ले। एकाधिकारी पूँजीपति घरानों को प्रोत्साहन पैकेज देना बन्द करो। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल व रसोई गैस के दामों में की गई वृद्धि वापस लो और पेट्रोल का मूल्य निर्धारण सरकार पुनः अपने हाथ में ले। जमाखोरी व कालाबाजारी पर रोक लगाओ और खुदरा व्यापार व कृषि क्षेत्र में एकाधिकारी पूँजीपति घरानों और प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश (एफ.डी.आई.) का प्रवेश बन्द करो।

2) किसानों को आत्महत्या की तरफ धकेलना बन्द करो। गरीब किसानों के कर्जे माफ करो। निम्न मध्यम व गरीब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, बिजली और पानी सस्ता दो। कृषि उपज को सरकार वाजिब दामों पर खरीदे।

3) निजी कम्पनियों के स्वार्थ में किया जा रहा भूमि अधिग्रहण बन्द करो। बी.ओ.टी. (बिल्ड, ऑपरेट एण्ड ट्रान्सफर) व पी.पी.पी. (पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप) स्कीमों के तहत सड़कों को गैरजरूरी चौड़ा करना बन्द करो। वास्तविक सामाजिक जरूरत से अधिग्रहण करना पड़े तो बाजार भाव से क्षतिपूर्ति और पूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित करो।

4) शिक्षा-स्वास्थ्य, बिजली व पानी जैसी सेवाओं का व्यापारीकरण व निजीकरण बन्द करो। फीस-वृद्धि व यौन-शिक्षा पर रोक लगाओ। पास-फेल प्रथा चालू करो

5) महिलाओं-बच्चों पर अत्याचार व उनकी खरीद-फरोख्त रोकने के कारगर कदम उठाओ। अपसंस्कृति, अश्लीलता, शराब व नशीले पदार्थों के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाओ।

6) काम के अधिकार को मौलिक अधिकारो में शामिल करो। सबको रोजगार दो तब तक पर्याप्त बेरोजगारी भत्ता दो। तालाबन्दी-छंटनी पर रोक लगाओ। छंटनी किए गए सभी श्रमिकों को वापस काम पर लो। सरकारी दफ्तरों में खाली पद भरो। स्थायी प्रकृति के रोजगारों में ठेका प्रणाली पर पाबन्दी लगाओ। श्रम अधिकारों के हनन और श्रम-कानूनों के उल्लंघन पर रोक लगाओ। खेतमजदूरों सहित सभी श्रमिकों के लिए आवश्यकता-आधारित न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी करो। नई पेंशन स्कीम रद्द करो।

7) एस.ई.ज़ैड. बनाने बन्द करो। पानी सहित सभी प्राकृतिक, खनिज पदार्थों तथा सार्वजनिक उद्योगों को निजी हाथों में सौंपना बन्द करो।

8) सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ। दोषियों को उदाहरणमूलक सजा दो। काले कानूनों, आधार परियोजना व सशस्त्र बल विशेष सुरक्षा अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए.) को रद्द करो। लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों की गारण्टी करो।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की अपील

14 मार्च

जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ

करोड़ों हस्ताक्षरों के साथ

संसद चलो

रामलीला मैदान से जुलूस

11 बजे

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाषः 011-25726631, E-mail: sarvaharadrishtikon@yahoo.com